


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या 2121/2014.....जिला.....अजमेर.....

उनवान- श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री मोतीलाल माली , ब्यावर अजमेर बनाम राजस्थान सरकार जरिए उपपंजीयक, ब्यावर अजमेर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15.01.2015	<p style="text-align: center;">एकलपीठ श्री मनोहर पुरी, सदस्य</p> <p>अप्रार्थी विभाग की ओर से श्री आर.के.अजमेरा, उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित। प्रार्थी अभिभाषक गौतम टांक द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्र. प.2(6)वित्त/कर/2014 -143 दिनांक 16.12.2014 का लाभ लेने हेतु प्रस्तुत निगरानी को विद्झा करने हेतु निवेदन किया गया। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने इस प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत निगरानी को विद्झा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर निगरानी विद्झा करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत निगरानी संख्या 2121/2014 "सारहीन" हो जाने के कारण जरिये विद्झा खारीज की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश सुनाया गया।</p> <div style="text-align: right;">  (मनोहर पुरी) सदस्य </div>	